

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला अजमेर

क्रमांक - रीडर/19/ 179

दिनांक 29/8/19

-: आदेश :-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक राजस्व(गुप-6) विभाग जयपुर के परिपत्र पत्रांक प.3 राज-6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अनुसार चालू स्थाई रास्तों के राजस्व अभिलेख में अंकन की कार्यवाही की जानी है।

उक्त रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131,132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 53,59,60,66 एवं 86 के अनुसार तहसीलदार मसूदा द्वारा प्राप्त प्रस्ताव व अनुशंषा अनुसार भूमि नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में गै.मु. रास्ता एवं नक्शे में लाल स्याही से अंकन करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार मसूदा उक्त आदेश के अनुसार पालना सुनिश्चित कर 15 दिवस में मय रेकार्ड की प्रति सहित पालना प्रेषित करे।

पटवार मण्डल :- खरवा प्रथम

तहसील :- मसूदा

वर्तमान जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टि						नवीन(रास्ता हेतु) प्रविष्टि			
क्र. सं.	पोर्टल क्रमांक	तहसीलदार मसूदा के पत्रांक नम्बर मय दिनांक	ग्राम का नाम	खसरा न.	कुल रकबा (बीघा)	किस्म जमीन	खसरा न.	रकबा(बीघा)	किस्म जमीन
1	2019/00245	3458 18.07.2019	खरवा	908	02-10-00	बा.3	908/1	01-02-00	गै.मु. रास्ता
2	2019/00245	3458 18.07.2019	खरवा	1518	05-12-00	बरड़ा	1518/1	00-04-00	गै.मु. रास्ता
3	2019/00245	3458 18.07.2019	खरवा	1496	05-08-00	बरड़ा	1496/1	00-18-00	गै.मु. रास्ता
4	2019/00246	3459 18.07.2019	गुवाड़िया	5838/2	13-09-00	बा.3	5838/13	02-00-00	गै.मु. रास्ता
5	2019/00246	3459 18.07.2019	गुवाड़िया	5809/2	242-16-00	गै.मु. चट्टान	5809/22	02-16-00	गै.मु. रास्ता
6	2019/00247	3460 18.07.2019	सूरजपुरा	6257/1	10-10-00	गै.मु. टैगरी	6257/5	01-08-00	गै.मु. रास्ता

नोट:- अवशेष इन्द्राज यथावत रहेंगे।

(मोहनलाल खटनावलिया)  
उपखण्ड अधिकारी  
(एस.डी.एम.)मसूदा (अजमेर)

